

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said individual, he shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 19/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 202(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिससे—

- (क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
- (ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता,

केन्द्रीय माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2020

No. 19/2020—Central Tax

G.S.R. 202(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which the -

- (a) authorised signatory of all types;
- (b) Managing and Authorised partners of a partnership firm; and
- (c) Karta of an Hindu undivided family,

shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

सं. 20/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 203(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, दूसरे और तीसरे परंतुकों के लिए निम्नलिखित परंतुकों प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, जुलाई, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-7 में स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, नवंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 24 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”।

2. यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. 78/2019-केंद्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 957(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।